संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
समाहर्तालय, मोटी दमण - 396220.

No: IP/DMN/Advisory/2024-25/93 **Dated:** 01/ 02 / 2025

ADVISORY

WHEREAS, it has brought to the notice through a letter received from the Press Council of India (PCI), New Delhi that its Secretariat is located at Soochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, and it has neither established any branch nor authorised/constituted any other body with the same or similar name to function on its behalf;

AND WHEREAS, it has come to the knowledge of the Press Council of India (PCI), New Delhi that certain press organisations are using the term "Press Council", which has not only eroded the institutional value of the Press Council of India but also infringes upon its unique domain and title.

AND WHEREAS, the Department of Legal Affairs, New Delhi, has opined that the usage of the term "Press Council" or its Hindi equivalent "भारतीय प्रेस परिषद" by any other organisation without the permission of the Central Government is in violation of Section 3 read with Entry 7(ii) of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

NOW THEREFORE, it is hereby advised that:

1. All concerned authorities must take necessary steps to prohibit and rectify the registration of any local or government association/body using the name "Press Council" or "भारतीय प्रेस परिषद".
2. Organizations or individuals currently using this term without authorisation must cease such usage immediately to avoid legal consequences.
3. Strict action will be taken against any entity found misusing the name of the Press Council of India in violation of the law.

This advisory is issued with the approval of the Competent Authority in the interest of maintaining the integrity and legal sanctity of the Press Council of India, New Delhi.

(Priyanshu Singh),
Field Publicity Officer,
Daman & Diu.

Copy to;

1. The Director (Information & Publicity), DNH&DD, Secretariat, Daman.
2. The Jt. Director (Planning & Statistics) with a request to publish in the official Gazette and provide this office with 10 Gazette copies.
3. The Director (Information & Technology) for publishing the notification on the official website of the U.T. Administration of DNH & DD.

PTO

4. The Assistant Director (Official Language), Daman.
5. The Chief Publicity Officer, DNH, Silvassa.

Copy forwarded for kind information to:-

1. The P.S. to Hon'ble Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Secretariat, Vidyut Bhavan, Kachigam, Daman.
2. The P.A. to the Advisor to the Hon'ble Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Secretariat, Vidyut Bhavan, Kachigam, Daman.
3. The P.A. to the Secretary (Finance), DNH & DD.
4. The P.A. to the Secretary (Information & Publicity), DNH & DD.
5. The P.A. to the Collector, Dadra & Nagar Haveli/Daman/Diu.

(Priyanshu Singh),
Field Publicity Officer,
Daman & Diu.

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कार्यालय,
सूचना एवं प्रचार विभाग,
समाहर्तालय, मोटी दमण - 396220.

No: आईपी /दमण/एड्वाइज़री /2024-25/93 **दिनांक:** 01 / 02 / 2025

परामर्श (Advisory)

जबकि, भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India - PCI), नई दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र के द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि भारतीय प्रेस परिषद का सचिवालय, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोढ़ी रोड, नई दिल्ली में स्थित है तथा उक्त परिषद ने न तो किसी शाखा (Branch) की स्थापना की है और न ही किसी अन्य निकाय को अपने नाम या समान नाम से कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

और जबकि, भारतीय प्रेस परिषद (PCI), नई दिल्ली के संज्ञान में यह आया है कि कुछ प्रेस संगठनों द्वारा "प्रेस परिषद" (Press Council) शब्द का उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल भारतीय प्रेस परिषद की संस्थागत प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची है, बल्कि इसके विशिष्ट अधिकार क्षेत्र और नाम का भी उल्लंघन हुआ है।

और जबकि, विधि विभाग, नई दिल्ली ने यह राय दी है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य संगठन द्वारा "Press Council" या इसके हिंदी समकक्ष "भारतीय प्रेस परिषद" शब्द के उपयोग करना, "प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950" की धारा 3 एवं प्रविष्टि 7(ii) का उल्लंघन है।

अब इसीलिए, यह परामर्श (अड्वाइज़री) जारी किया जाता है कि:

1. सभी संबंधित प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थानीय या सरकारी संगठन/संस्था द्वारा "Press Council" या "भारतीय प्रेस परिषद" नाम के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार का पंजीकरण न किया जाए और यदि ऐसा हुआ है तो उसे तत्काल निरस्त कर दिया जाए।
2. जो संगठन या व्यक्ति बिना अधिकृत अनुमति के इस नाम का उपयोग कर रहे हैं, वे तत्काल प्रभाव से इसे बंद करें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
3. भारतीय प्रेस परिषद के नाम का अनुचित या अवैध उपयोग करने वाले किसी भी संगठन/व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह परामर्श (अड्वाइज़री) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली की संस्थागत प्रतिष्ठा एवं विधिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की जाती है ।

(प्रियांशु सिंह),
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
दमण एवं दीव।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (सूचना एवं प्रचार), डी.एन.एच. एवं डी.डी., सचिवालय, दमण।
2. संयुक्त निदेशक (योजना एवं सांख्यिकी) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करें तथा इस कार्यालय को राजपत्र की 10 प्रतियां उपलब्ध कराएं।
3. निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) को इस परामर्श को डी.एन.एच. एवं डी.डी. के यू.टी. प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।
4. सहायक निदेशक (राजभाषा), दमण।
5. मुख्य प्रचार अधिकारी, डीएनएच, सिलवासा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय प्रशासक के निजी सचिव, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, सचिवालय, विद्युत भवन, कचीगाम, दमण ।
2. माननीय प्रशासक के सलाहकार के निजी सचिव, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, सचिवालय, विद्युत भवन, कचीगाम, दमण।
3. सचिव (वित्त) के निजी सचिव, डीएनएच एवं डीडी।
4. सचिव (सूचना एवं प्रचार) के निजी सचिव, डीएनएच एवं डीडी।
6. कलेक्टर के निजी सचिव, दादरा एवं नगर हवेली/ दमण /दीव।